



INDIA NON JUDICIAL




IN-UP01785729504807V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC. Name: FERI SINGH
Stamp Vendor
Licence No. 04/2008-09
E-Stamping ID: UP14121204
Tehsil: Firozabad (Firozabad)

Certificate No. : IN-UP01785729504807V
Certificate Issued Date : 30-Aug-2023 02:21 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14121204/ FIROZABAD/ UP-FR2
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1412120499159800670237V
Purchased by : E NOTARY TICKET
Description of Document : Article 42 Notarial Act
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : E NOTARY TICKET
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : E NOTARY TICKET
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
(Ten only)





INDIA NON JUDICIAL




IN-UP01079732452814V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC Name: FER1 SINGH
Stamp Vendor
Licence No. 00/2008-09
E-Stamping ID- up14121204
Tina Shikolabad (Firozabad)

Certificate No. : IN-UP01079732452814V
 Certificate Issued Date : 29-Aug-2023 04:36 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14121204/ FIROZABAD/ UP-FRZ
 Unique Doc. Reference : SUBIN-LIPUP1412120497734081700524V
 Purchased by : SHRI VINAYAK CHARITABLE TRUST GANGA NAGAR SKB
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SHRI VINAYAK CHARITABLE TRUST GANGA NAGAR SKB
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : SHRI VINAYAK CHARITABLE TRUST GANGA NAGAR SKB
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



(प्रारूप - अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्टी के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम सोमप्रकाश (अध्यक्ष) एवं मोहित कुमार (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री विनायक चैरीटेबल ट्रस्ट गंगानगर, दि. 10/08/23, फिरोजबाद, शपथपूर्वक बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा श्री विनायक चैरीटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री विनायक चैरीटेबल ट्रस्ट नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम श्री विनायक चैरीटेबल ट्रस्ट ने गाटा संख्या 0166 एवं 1.2540 रकबा क्रमशः 12540 हेक्टेयर(कुल रकबा हेक्टेयर) भूमि है।



3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित हैं।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटर के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 0166
 एवं 1.2540 रकबा क्रमशः एवं.....
 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.2500 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 28/06/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगल डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।


हो सचिव



ओम प्रकाश
हो अध्यक्ष

Enrolled to Read by
who is permitted to practice here of
Saharanpur (U.P.) and is the
Name of the
My Commission No. 13291
and is valid for the term of
Residence at

ओम प्रकाश उद्देश्य

35/50

Sarvesti Kumar Yadav
Advocate
Notary Office at

30-8-2023